

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training

.....
New Delhi, dated the ^{28th} September 2005


Notification

GSR.....347..... In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments in the Second Schedule to the said Act, namely: -

In the Second Schedule to the said Act, -

- (1) for S.No. 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-
“(15) Sashtra Seema Bal.”;
- (2) after S.No. 18 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely:-
“(19) Special Protection Group.
(20) Defence Research and Development Organisation.
(21) Border Road Development Board.
(22) Financial Intelligence Unit, India.”

[File No. 34012/12(s)/2005-Estt.(B)]


(Rakesh Malhotra)

Under Secretary to the Government of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख: २४ सितम्बर, 2005

अधिसूचना

सां० कां० नि० 347 केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, -

(1) क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(15) सशस्त्र सीमा बल।";

(2) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"(19) विशेष संरक्षा व्युप।

(20) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।

(21) सीमा सड़क विकास बोर्ड।

(22) वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत।"

[फा. सं. 34012/12(एस)/2005-स्था.(बी.)]

राकेश मल्होत्रा

(राकेश मल्होत्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी

नई दिल्ली।